



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62835

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2206 वर्ष 2026

विशाल यादव

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: दीक्षा गुप्ता, सिद्धार्थ श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीक्षा गुप्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री सी.एस. सरन की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह आवेदन अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है मुकदमा अपराध संख्या 0012/2026, बीएनएस की धारा 109(1), 324 (4), शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25, गौहत्या अधिनियम की धारा 3, 5ए, 8 और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11, पुलिस स्टेशन शाहगंज, जिला जौनपुर में, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसका नाम गिरफ्तार सह-आरोपियों के इकबालिया बयान में सामने आया, जिनके वाहन से छह जीवित गायें बरामद की गईं। यह भी कहा गया है कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

5. आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसका नाम गिरफ्तार सह-आरोपियों के इकबालिया बयान में सामने आया, जिनके वाहन से छह जीवित गायें बरामद की गईं।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांत, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

9. उपरोक्त मामले में अभियोगी आवेदक विशाल यादव की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष स्वतंत्र होगा। आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करना।

20 मार्च 2026

वीरेंद्र

(न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"